भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2787

18.03.2025 को उत्तर के लिए नियत

अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्यौगिकी केंद्र

2787. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी :

श्री यदुवीर वाडियार :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संदर्भ में आईसीएटी (अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र) द्वारा कितना योगदान दिया गया है;

(ख) आईसीएटी द्वारा भारतीय ऑटोमोटिव स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई को प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) भारी उद्योग और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु सरकार की क्या कार्यनीति है; और

(घ) सरकार की वैश्विक ईवी और हाइड्रोजन ईंधन सेल बाजार में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) ने भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने 27 नवीन तकनीकों को सफलतापूर्वक विकसित किया है जो ऑटोमोबिल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, आईसीएटी के पास 9 पेटेंट/आईपीआर और 2 कॉपीराइट/डिजाइन पंजीकरण हैं जो ऑटोमोटिव क्षेत्र में बौद्धिक संपदा में इसके योगदान को उजागर करते हैं। आईसीएटी के विशेषज्ञों ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर 50 से अधिक तकनीकी-पत्र प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा, अनुसंधान और विकास पारितंत्र को मजबूत करने के लिए, आईसीएटी ने प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव संगठनों और आईआईटी-कानपुर, आईआईटी-रुड़की, आईआईटी-

हैदराबाद, सी-डैक, आईडीआईएडीए-स्पेन, टीयूवी राइनलैंड-जर्मनी जैसे प्रमुख शिक्षा संस्थानों के साथ 40 से अधिक समझौता-ज्ञापन किए हैं।

(ख): आईसीएटी ने ऑटो और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए आईसीएटी इनक्यूबेशन और एक्सेलेरेशन केंद्र लॉन्च किया है। इसके अतिरिक्त, आईसीएटी ऑटोमोटिव एंड एलाइड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन (एएआरटीआई) फाउंडेशन का बोर्ड सदस्य है जो आईआईटी-रुड़की की सहायता से आईसीएटी ऑटो और संबद्ध डोमेन में नवाचार और व्यवसायों का समर्थन करने के लिए स्थापित एक सेक्शन-8 इकाई है-- विशेष रूप से स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए। आईसीएटी सक्रिय रूप से कार्यशालाओं, सेमिनारों और वेबिनार के माध्यम से स्टार्टअप और एमएसएमई का सहयोग लेता है जिसमें कौशलन और कौशल उन्नयन अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं और यह तकनीकी तथा उद्योग विशेषज्ञता प्रदान करके प्रौद्योगिकी और सत्यापन भागीदार के रूप में भी सेवा दे रहा है।

(ग) और **(घ)** : भारत सरकार ने भारी उद्योग और ऑटोमोबिल क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न स्कीमें तैयार की हैं। इन स्कीमों का उद्देश्य वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन ईंधन सेल बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करना भी है। विवरण निम्नानुसार हैं: -

i. **ऑटोमोबिल और ऑटो घटक संबंधी उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो):** सरकार ने 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए 23.09.2021 को इस स्कीम को अधिसूचित किया है। स्कीम में 41 स्वीकृत विदेशी आवेदक हैं।

ii. **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम :** भारत में इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को 15.03.2024 को अधिसूचित किया गया था। इस स्कीम के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन यात्री कारों (ई-चौपहिया) को शुरू में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए 15% की शुल्क दर पर 35,000 डॉलर के न्यूनतम सीआईएफ मूल्य के साथ आयात किया जा सकता है। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा और तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25% घरेलू मूल्यवर्धन और पांचवें वर्ष के अंत में 50% का घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना होगा।

iii. **भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम, चरण-II**: सरकार ने इस स्कीम को कुल 11,500 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ 01/04/2019 से 31/03/2024 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू किया। ऐसे विदेशी मूल उपकरण विनिर्माता हैं जिन्होंने निवेश किया था और उन्हें इस स्कीम के तहत सहायता दी गई थी।

iv. **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम:** 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस स्कीम को 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया गया था। यह 1 अप्रैल, 2024 से लागू दो वर्ष की स्कीम है जिसका उद्देश्य ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है। ऐसे विदेशी मूल उपकरण विनिर्माता हैं जिन्होंने निवेश किया है और इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

v. **राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम):** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। मिशन का एक उद्देश्य प्रायोगिक आधार पर चरणबद्ध तरीके से बसों और ट्रकों में ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए सहायता प्रदान करना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनजीएचएम के तहत परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्कीम दिशानिर्देश जारी किए। इस स्कीम के तहत पांच प्रायोगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें कुल 37 वाहन (बसें और ट्रक), और 9 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन शामिल हैं। मिशन के भाग के रूप में अनुसंधान और विकास स्कीम के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में ईंधन सेल का विकास शामिल है।

******